THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR): (a) The following works have been sanctioned:—

	Rs. (in lacs)
(i) Extension of runway upto 10,000 feet and strengthening the runway and associated pavements to LCN 60.	168
(ii) Construction of new International Block.	214
(iii) Construction of new control Tower and Technical Block.	48.74
(iv) Extension of the existing Terminal Building.	11.96

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यपद्धति

2186. **श्री डी. एल. बैठा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और उनकी कार्यपद्धति क्या है तथा ये बैंक अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कहां तक सफल हुए हैं;

(ख) क्या इन बैंकों में, विशेषकर बिहार राज्य स्थित बैंकों में बड़ी तादाद में गरीब लोगों की ऋण अर्जियां निपटाने के लिए पड़ी हैं और उन के निपटान में काफी लम्बा समय लगता है जिससे उन लोगों को असुविधा होती है ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए उचित प्रबन्ध करने हेतु कारगर कदम उठाना चाहती है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट): (क) खासकर छोटे और सीमान्तिक किसानों, खेतीहर मजदूरों, कारीगरों और देहाती इलाकों के अन्य कमजोर वर्गों को ऋण तथा अन्य सुविधायें देकर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का विकास करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जा रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक पुनरीक्षण समिति द्वारा लिये गये एक जायजे के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है जिनके लिए वे स्थापित किये गये थे ।

(ख) और (ग). विलम्ब अथवा किसी अनियमितता के बारे में की गयी शिकायतों के संबंध में ये बैंक तथा उनके प्रायोजक बैंक उपयुक्त स्तर पर आवश्यक कारवाई करते हैं । बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास अनिर्णित पड़े ऋण-आवेदन पत्रों के बारे में सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं । इस उद्देश्य से कि ऋण के आवेदन पत्रों के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कारवाई करने में विलम्ब न हो, इन बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि वे कृषि अग्रिमों तथा अन्य संबंधित कार्यकलापों के लिए सरलीकृत आवेदन प्रपत्रों को अपनाएं । इन बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे सरलीकृत कार्यप्रणालियों तथा सुलभ शर्तों को अपनाएं ताकि लक्षित समूहों को आसानी से ऋण प्राप्त होने के विषय में सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके ।

Appointments of Directors in Foreign Offices of Indian Investment Centre

2187. SHRI TARIQ ANWAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there are some guidelines for appointment to the posts of Directors in foreign offices of Indian Investment Centre;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of the experience in the field of finance and economic consultancy of the Directors appointed in the present foreign offices?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) and (b). The Indian Investment Centre has Resident Directors at Tokyo, London, New York, and Dusseldorf. These posts are equivalent to Deputy Secretary/ Director in the Central Secretariat and are filled in by selection from among